

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2018/ 2877 दिनांक : 6/4/2018

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी  
एफसीए राज0 जयपुर।

विषय :- Land For Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simit  
(FP/RJ/Other/20036/2016)

प्रसंग :- उप वन संरक्षक कोटा का पत्र संख्या एफ ( )उवसं/तक  
/2018/2826 दिनांक 02.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप वन संरक्षक कोटा ने प्रासंगिक पत्र से कृषि उपज मण्डल समिति द्वारा एन.एच.-76 बाई पास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गयी 96 हैक्टर वनभूमि के बारे में मौके की स्थिति से संबंधित बिन्दुओं पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत की गई है:-

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एन.एच.-76 बाईपास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गई 96 हैक्टर वनभूमि के प्रस्ताव (भामाशाह मण्डी के प्रस्ताव) का अध्ययन किया गया। मेटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत 4000 पौधे लगाये गये हैं, जहाँ पौधे लगाये गये हैं वह वनभूमि भामाशाह मण्डी विस्तार हेतु प्रस्तावित नहीं की गई है। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया कि उक्त स्थल एन.एच. 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के निर्माण में एफ. सी.ए. के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों में शर्त सं. 5 के अनुसार इस क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना है। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया है कि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक F NO-8-3/2006-FC दिनांक 06.07.2017 में आवश्यक संसोधित स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उक्त प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन किया जाना उचित होगा।

मौके पर रिको द्वारा 47 हैक्टर वनक्षेत्र में अतिक्रमण किये जाने पर उप वन संरक्षक कोटा को कार्यवाही किये जाने के निर्देश इस कार्यालय द्वारा दिये गये हैं। इस संबंध में उप वन संरक्षक कोटा ने अवगत कराया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा से अतिक्रमण के संबंध में जानकारी चाही जाने पर क्षेत्रीय लाडपुरा द्वारा पत्रांक 1691 दिनांक 23.03.2018 से अवगत कराया गया कि, उक्त वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में तत्समय क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा द्वारा रिको कोटा के विरुद्ध विभागीय एफ.आई.आर. 56-09 दिनांक 19.09.1996 दर्ज की गई थी। इस एफ.आई.आर. में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रयोक्ता अभिकरण भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति ने विस्तार हेतु पूर्व में 74 हैक्टर प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्तावित साईट का मौका निरीक्षण करने एवं रिकोर्ड देखने पर पाया गया कि, वर्तमान में स्थापित कृषि उपज मण्डी में 22 हैक्टर वनभूमि पूर्व से ही सम्मिलित है। प्रयोक्ता अभिकरण को पुनः उप वन संरक्षक कोटा द्वारा वर्तमान में कृषि उपज मण्डी में स्थित वनभूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु दिनांक 14.08.2017 को इस कार्यालय द्वारा EDS जारी किया गया। तदुपरांत प्रयोक्ता अभिकरण भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उनके कब्जे की भूमि 22 हैक्टर को 74 हैक्टर में सम्मिलित करते हुये कुल 96 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार से पूर्व में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एन0एच0 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर निर्माण हेतु शर्त सं. 5 में संसोधन होने पर ही कृषि उपज मण्डी विस्तार हेतु उपरोक्त 96 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव को अग्रेषित करना उचित होगा।

भवदीय

(इन्द्राज सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2018/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार दी जाकर लेख है कि प्रयोक्ता अभिकरण भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति के विस्तार के लिए 96 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव में एन0एच0 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर निर्माण की शर्त सं. 5 में सक्षम स्तर से संसोधन होने पर ही प्रस्ताव ऑनलाईन उच्च कार्यालय को अग्रेषित किया जा सकेगा।

संलग्न :- मूल प्रस्ताव - 4 लेख ।

(इन्द्राज सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
कोटा